तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय सैमरदा पर पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं० 1 उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि निर्णय दिनांक 5/1/96 बाबत नामान्तकरण सं० 352 ग्राम-सैमरदा तहसील करौली खिलाफे कानून है। परिवरिश रेस्पोडेन्ट है। नामान्तकरण मे दर्ज आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं० 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट नं० 3 के ससुर व रेस्पोडेन्ट नं० 4 ता० 7 के परपिता व रेस्पोडेन्ट नं० 8 ता 10 के नाना नथुआ पुत्र बुध्धा धोबी के खातेदारी की रही है जिसका सजरा अपील के मद नं० 3 मे दर्ज है। नथुआ को मरे लम्बा समय हो चुका है। नथुआ के मरने के बाद रेस्पोडेन्ट नं० 3 के पति व रेस्पोडेन्ट नं० 4 ता 7 के पिता व रेस्पोडेन्ट नं० 8 ता 10 का भाई गन्नू फौत हो गया और गन्नू ने अपीलान्ट से छिपाते हुए बेईमानी पूर्वक राजस्व कर्मीयो से साठ गांठ कर यह नामान्तकरण अपने व पातरिया के नाम स्वीकृत करा लिया जो गलत है निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दि० 29/7/16 को उस समय हुई जब अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नं० 2 ने दीगर व्यक्ति को भूमि को विक्रय करने की व अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी। अपीलान्ट नथुआ की पुत्री है वैध वारिस है। जानकारी दिवस से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश की है दिनांक 5/1/96 से दिनांक [illegible] के समय की जानकारी अपीलान्ट के [illegible] कायम किये जाने को अपील [illegible] बाद अपि० का प्रार्थना पत्र [illegible] किया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड व ब्यान रेस्पोडेन्ट नम्बर 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म के में जारी
	मौती दिव 9/5/17 व फर्द मौका दिनांक 9/5/17 पटवारी हल्का सैमरदा से अपीलान्ट का नथुआ की पुत्री होना प्रकट होता है जो नथुआ की विधिक वारिस है। जिसका नाम नामान्तकरण मे दर्ज किया जाना उचित है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण नं. 352 दिनांक 5/1/96 ग्राम सैमरदा तह० करौली में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 6-10-2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०) Signature Not Verified Digitally signed by Dhirendra Singh Date: 2022.01.11 10:46:34 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner